महिला सुरक्षा एवं अधिकार

डॉ0 मधु माला सिन्हा
अतिथि व्याख्यता संस्कृत विभाग
सुन्दरवती महिला महाविद्यालय, भागलपुर
ति0 भा0 वि0 वि0 भागलपुर, बिहार

दुर्गेश नंदन सिन्हा
विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग
ताड़र महाविद्यालय, ताड़र
भागलपुर (बिहार)

''महिलाओं की सशक्ति है, देश की उन्नति''

भारतीय महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण मानते है।

- आर्थिक स्वतंत्रता
- दैहिक स्वतंत्रता
- निर्णय लेने की स्वतंत्रता

भारतीय महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण आर्थिक, दैहिक, मानसिक स्वतंत्रता के साथ आत्मिक स्वतंत्रता से भी सीधे सम्बद्व है, क्योंकि इन्हीं सब स्तरों पर उसे समाज द्वारा स्वतंत्र इंसान का दर्जा दिए जाने में पिछली कुछ सदियों से जाने अनजाने में इतनी कोताही की जाती है कि आम भारतीय महिला के जेहन में यह बात आती ही नहीं कि उपरोक्त स्वतंत्रता उसके भारतीय नागरिक होने के अधिकार क्षेत्र में आती है।

अधिकांश महिलाएँ बचपन से परवरिश ही इस तरह की जाती है कि उन्हें धरेलू सामजस्य या रीति रिवाज / परिपाटी के नाम पर जिन्दगी भर बस सहन करते रहना है। इस जन्म धुट्टी के साथ पली बढ़ी महिलाएँ धरेलू हिंसा को भी अपनी नियती मान खामोशी से सहन करती चली आती है।

दुष्सित मानसिकता वाले लोगो द्वारा आज भी महज देही ही मानी जाती है, इंसान नहीं। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो जितनी भी गालियाँ है वे सिर्फ माँ, बहन की गालियाँ नहीं होती।

वास्तव में महिला सुरक्षा के लिए खुद महिला को सक्षम होना होगा। भीरूता को स्त्री का गहना मानना स्वयं स्त्री को छोड़ना होगा हिम्मत, वीरता और साहस को उसे महत्वपूर्ण गुण बनाना होगा। जो डरता है उसे दुनिया डराती है। सामाजिक स्तर पर सोच बदलाव भी लाया जा सकता है। पर इसमें आधी सदी भी लग सकती है। जिस दिन माँ अपने बटे और बेटियों की परवरिश में अंतर करना छोड़ देगी उस दिन से सामाजिक स्तर सोच में बदलाव का बीज पड़ जायेगा।

महिला का धरेलू हिंसा :–

किसी भी महिला के साथ घर की चाहरदिवारी के अन्दर होने वाली हिंसा, मारपीट, उत्पीड़न आदि के मामले इसी कानून के अन्तर्गत आते है। महिला को ताने देना, गाली देना उसका अपमान करना, उसकी मर्जी के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करना, जबरन शादी के लिए बाध्य करना आदि जैसे मामले भी धरेलू हिंसा के दायरें में आते है। पत्नी को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना या फिर नौकरी करने से रोकना, दहेज की मांग के लिए मारपीट करना आदि इसके तहत आ सकते है।

धरेलू हिंसा अधिनियम का निर्माण 2005 में किया गया और 26 अक्टुबर 2006 इसे देश में लागू किया गया। यह कानून महिलाओं को धरेलू हिसां से बचाता है। भारत में लगभग 70 प्रतिशत महिलाएँ किसी न किसी रूप में इसकी शिकार है।

वैदिक काल में नारी का स्थान पूजनीय व सम्मानित था परन्तु आज के पुरूष प्रधन समाज में नारी को अपने सम्मान और सुरक्षा हेतु सदैव पुरूषो पर आश्रित पुत्री के रूप में पिता पर, युवावस्था में पत्नी के रूप में पति पर आश्रित और वृद्वावस्था में माँ के रूप में पुत्र पर आश्रित रही है। परन्तु आज की आधुनिक युग की महिला आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हो चुकी है। शिक्षा के हर क्षेत्र में पुरूषो को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रही है परनतु सम्मान और सुरक्षा की दृष्टि से काफी असहज अवस्था में है। दिन प्रतिदिन स्त्रियों के साथ छेड़ छाड़ व बालात्कार की धटनाएँ घटती रहती है।

जून 2018 में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की एक सर्वे के मुताबिक महिला सुरक्षा के मामले में भारत की स्थिति सबसे खतरनाक देशो में पहले स्थान पर, उसके बाद अफगास्तिान, तीसरे नंबर पर सीरिया है। अमेरिका का स्थान इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है। यह सर्वे रिपोर्ट निश्चय ही शर्मसार करने वाली है। इस समस्या का समाधान के लिए सरकार या पुलिस के भरोसे बैठने की बजाय महिलाओं को सशक्तिकरण की राह पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

महिला सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर बनाए गये कानून

- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम
- सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं नियमावली
- महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व
- दहेज प्रतिशेध नियमावली
- दहेज प्रतिवंध अधिनियम 1961
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990
- धरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न अधिनियम 2013

  महिलाओं का कुछ अधिकार है जिन्हें जानना सभी महिलाओं के लिए आवश्यक है, जो निम्न है :–

<u>महिला के 10 महत्वपूर्ण अधिकार</u>

1. समान वेतन का अधिकार – समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
2. कार्यस्थल पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार काम पर हुए यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार आपको यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है।
3. नाम न छापने का अधिकार – यौन उत्पीड़न के शिकार महिलाओं को नाम न छापने का अधिकार है। अपनी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार महिला अकेले अपना बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजुदगी में दर्ज करा सकती है।
4. धरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार – ये अधिनियम मुख्य रूप से पति लिव इन पार्टनर या रिश्तेदार द्वारा एक पत्नी एक महिला लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे माँ या बहन पर की गई धरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। आप या आपकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकती है।
5. मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार – मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के निए सुविधा नहीं बल्कि ये उनका अधिकार है। मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत एक नई माँ के प्रसव के बाद 6 माह तक महिला के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती और वो फिर से काम शरू कर सकती है।
6. कन्या भ्रुण हत्या के खिलाफ अधिकार – भारत में हर नागरिक का ये कर्त्तव्य है कि वो एक महिला को उसके मूल अधिकार जीने का अधिकार का अनुभव करने दे, गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक (लिंग चयन पर रोक) अधिनियम कन्या भ्रुण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।
7. मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार – बालात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। थानेदार के लिए ये जरूरी है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करें।
8. रात को गिरफ्तार न होने का अधिकार – एक महिला को सूरज डुबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। किसी खास मामले मे एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही ये संभव है।

9. गरिमा और शालीनता का अधिकार – किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाले कोई भी चिकित्सा जॉच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही किया जाना चाहिए।
10. सम्पत्ति का अधिकार – हिन्दु उत्तराधिकार अधिनिमय के तहत हुए नियामें के आधार पर पुश्तैनी सम्पत्ति पर महिला और पुरूष दोनो का सामान अधिकार है।

हमारे समाज को समन्वयात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है हमारे देश में तो शिवशक्ति के संयुक्त रूप जिसे अर्धनारीश्वर कहते है, दोनो का ही अपना महत्व है आवश्यकता है कि पुरूष न नारी दोनो के द्वारा अपनी अपनी पवित्रता का जतन करते हुए एक दूसरे की सम्मान की रक्षा करनी होगी। जबतक इस समन्वयात्मक दुष्टिकोण का विकास नहीं होगा, तब ऐसे अवरोधो का 1 दौर समाप्त नहीं होगा। साथ ही युवतियों का भी अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यकत युद्व के तरीके, कराटे, बायकोडो बॉक्सिंग आदि तो सीखना ही चाहिए। ताकि कामांघों को पाप का ठीक से प्रत्युत्तर दे सके परन्तु सबसे जरूरी है स्त्री पुरूष के बीच का भेदभाव मिटाना और ऐसे समाज की रचना करना जहाँ पवित्रता का पोषण हो जहाँ शक्ति का सम्मान हो।

संदर्भ सूची :–

1- wwwdunia.com
2- आज तक
3- wwwparenture.com
4- wwwgainconnection.com